उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 17754/19 दिनांक 4/6/19

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
चौधरी केहर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एण्ड हास्पिटल,
कोतना रोड, निकट यू0पी0सी0एल0 सब पावर स्टेशन,
बड़ौत, बागपत।

विषय–बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 40 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–338/71–4–19–एन–4/2017टी0सी0 दिनॉक 09 मार्च, 2019 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 16.04.2018 के क्रम में इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एस0सी0–नर्सिंग) की 40 सीट का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा भी धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः चौधरी केहर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एण्ड हास्पिटल, कोतना रोड, निकट यू0पी0सी0एल0 सब पावर स्टेशन, बड़ौत, बागपत के प्रशिक्षण केन्द्र में 40 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रति वर्ष निरन्तरता/सम्बद्धता शुल्क के रूप में रूपया 25,000/– (पच्चीस हजार रूपया) इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 16.04.2018 की प्रति (संलग्न)।

रजिस्ट्रार,

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक [illegible] मार्च, 2019

विषय:– चौधरी केहर सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित चौधरी केहर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एण्ड हास्पिटल, कोताना रोड, निकट यू0पी0पी0सी0एल0 सब पावर स्टेशन, बड़ौत, बागपत में बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एस0सी0–नर्सिंग) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–13419/19 दिनांक 25.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त चौधरी केहर सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित चौधरी केहर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एण्ड हास्पिटल, कोताना रोड, निकट यू0पी0पी0सी0एल0 सब पावर स्टेशन, बड़ौत, बागपत में बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एस0सी0–नर्सिंग) प्रशिक्षण कोर्स में 40 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–4447/71–3–05–141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 24.01.2006, 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्ण[illegible?] अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 338(1)/71–4–19–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संस्था।
4. प्रबन्धक, चौधरी केहर सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित चौधरी केहर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एण्ड हास्पिटल, कोताना रोड, निकट यू0पी0पी0सी0एल0 सब पावर स्टेशन, बड़ौत, बागपत द्वारा सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

Ch. Kehar Singh Institute ...